

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :- एफ.4(ई) एच-34 / 2023 / अलेसे-III / 8528

दिनांक :- 17.10.2025

कार्यालय आदेश

श्री हर्षित शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 725759) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) पदस्थापन कार्यालय तहसीलदार, नगरफोर्ट (टोंक) को अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक के पत्र दिनांक 25.08.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 2124 दिनांक 15.09.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरान्त राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 26.06.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक (कुल 189 दिवस)

श्री शर्मा को वित्त (राजस्व) विभाग से उक्त अवधि के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृति की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि किसी भी परिस्थिति में असाधारण अवकाश की अवधि में वृद्धि नहीं की जायेगी तथा न ही भविष्य में परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री हर्षित शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जावेगी।



(अमिता शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई) एच-34 / 2023 / अलेसे-III / 8528

दिनांक :- 17.10.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक ।
2. तहसीलदार, नगरफोर्ट (टोंक) ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
4. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा ।
5. श्री हर्षित शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) पदस्थापन कार्यालय तहसीलदार, नगरफोर्ट (टोंक) ।
6. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / गोपनीय शाखा ।



(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)